

अनुमण्डल न्यायालय-असैनिक न्यायाधीश (वरीय कोटि) बनमनखी, पूर्णिया बिहार

स्वत्व वाद सं.-92/2012

सी.आई.एस. क्र.-92/2012

श्री ओम प्रकाश भगत एवम अन्य बनाम बिहार सरकार एवम अन्य

Order date	Order with signature of the Court	Office action taken
04/06///24	<p>वादी की ओर से उनके विद्वान अधिवक्ता की हाजिरी है। प्रतिवादी बिहार राज्य की कोइ पैरवी नहीं है। यह वाद वादी की ओर से प्रस्तुत आवेदन दिनांक 14 मार्च 2024 पर सुनवाई एवं आदेश हेतु प्रस्तुत किया गया है। उक्त आवेदन को संचालित कर वादी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा समर्पित किया गया है कि वादी के द्वारा यह वाद स्वत्व की घोषणा हेतु लाया गया है जो साक्ष्य पर चल रहा था। इस वाद में वादी के द्वारा दिनांक 06/02/2020 को एक साक्ष्य प्रस्तुत किया गया परंतु वादी के बीमार होने के कारण वादी आगे कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं कर सका जिस कारण से दिनांक 16 फरवरी 2024 को वादी के साक्ष्य को बंद कर दिया गया है वादी इस वाद में साक्षी देने के लिए तैयार हैं अतः विनम्र निवेदन है कि दिनांक 16/02/24 के आदेश को वापस लेते हुए वादी को साक्ष्य प्रस्तुत किए जाने का अवसर प्रदान करने की कृपा की जाए।</p> <p>प्रतिवादी राज्य की ओर से प्रतिउत्तर प्रस्तुत कर आपत्ति व्यक्त किया गया है कि वादी को साक्ष्य हेतु पर्याप्त अवसर दिया गया परन्तु वादी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किए जिस कारण से वादी का यह आवेदन खारिज किए जाने योग्य है।</p> <p>उभयपक्ष को सुना अभिलेख का अवलोकन किया। अवलोकन से विदित होता है कि यह वाद दिनांक 28/11/19 से वादी साक्ष्य हेतु चल रहा है परन्तु वादी के द्वारा सम्पूर्ण साक्ष्य न दिए जाने के कारण दिनांक 16/02/24 को वादी साक्ष्य बन्द कर दिया गया है। वादी इस वाद में साक्ष्य देने के लिए तैयार हैं। वाद के प्रभावी एवम न्यायपूर्ण निराकरण हेतु उभय पक्ष के साक्ष्य को अभिलेख पर लाया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। अतः वादी के इस आवेदन को 500 रुपये खर्च पर इस शर्त पे स्वीकृत किया जाता है कि वादी आगामी छः तिथियो या छः माह जो पहले हो, अपना सम्पूर्ण साक्ष्य प्रस्तुत करेंगे। वाद दिनांक 19/06/24 वादी साक्ष्य हेतु नियत।</p> <p style="text-align: right;">लेखापित-</p> <p style="text-align: right;">असैनिक न्यायाधीश(व.को.)</p> <p style="text-align: right;">बनमनखी, पूर्णिया</p>	